उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

संख्या-20/2015/1256/सत्तर-6-2015-17(39)/94 टी.सी.

लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धिपत्र

वेतन समिति, उ.प्र. 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के दिनांक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4382/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 एवं शुद्धिपत्र कार्यालय-ज्ञाप संख्या–5211/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 17-12-2009 द्वारा किया गया है।

(2) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धिपत्र संख्या-सा.-3-1358/दस-2010 दिनांक 19-07-2010 एवं कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धिपत्र संख्या-सा.-3-जी.आई.-02/दस-2014-308/97 टी.सी. दिनांक 14 जुलाई, 2014 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु निर्धारित न्यूनतम पेंशन एवं न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की दरों के फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के दिनांक 01-01-2006 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या-4382/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 के प्रस्तर-3 को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित एवं संलग्न तालिका के अनुसार न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन को निर्धारित संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

वर्तमान व्यवस्था		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके द्वारा धारित पद के दिनांक 01-01-1996 से लागू वेतनमान के दिनांक 01-01-2006 से प्रतिस्थापित पे-बैंड के न्यूनतम तथा सम्बन्धित ग्रेड-पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहां यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा धारित पद के दिनांक 01-01-1996 से लागू वेतनमान के दिनांक 01-01-2006 से प्रतिस्थापित पे-बैंड के न्यूनतम तथा सम्बन्धित ग्रेड-पे के योग के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।		"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (Corresponding) वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड-पे के योग से 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित पेंशन पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सदृश (Corresponding) वेतन बैंड के न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड-पे के योग से 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

.....क्रमश:

(3) संलग्न तालिका में दी गयी दरें इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से लागू होंगी अर्थात् इन आदेशों के अन्तर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप न तो कोई एरियर देय होगा और न ही कोई वसूली पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर से की जायेगी।

(4) पूर्वोक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4382/सत्तर-6-2009-17(39)/94 टी.सी. दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त कार्यालय-ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।''

(5) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-11-1224/दस-2015 दिनांक 05 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-20/2015/1256(1)/सत्तर-6-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ.प्र., इलाहाबाद।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ.प्र., इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, उ.प्र., इलाहाबाद।
5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ.प्र.।
6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ.प्र.।
7- समस्त कोषाधिकारी, उ.प्र.।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
9- निदेशक, पेंशन, उ.प्र., लखनऊ।
10- समस्त सम्बन्धित बैंक।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
12 उच्च शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
13 अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14 विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अखिलेश अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव